न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 07/2021
दायर दिनांक :– 09.02.2021

अनवान

चॉन्द देवी पुत्री मनोहर लाल पारीक नि. खजूरी हाल पत्नि चॉन्दमल पारीक नि. राजमहल तह. देवली

वादी..........

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
2. घनश्याम पिता उदयलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
3. राजेन्द्र पिता उदयलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
4. सुशीला पुत्री उदयलाल पत्नि राजेन्द्र पारीक नि. पारोली तह. कोटडी
5. बैंक मैनेजर, बी. आर. आर. बी. शाखा खजुरी तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जंहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट वादीगण
2. श्री विकास पत्रिया, एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1

:: निर्णय ::

दिनांक 18.04.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 कुल किता 08 रकबा 15.05 बीघा भुमि सोहन बाई बेवा मोहनलाल, रूधवरीलाल कन्हैयालाल पिता मोहनलाल 1/2, घनश्याम राजेन्द्र, सुशीला पिता उदयलाल लाड देवी बेवा उदयलाल 1/2 पारीक के नाम से दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में स्थित है। उक्त भूमि 1. मनोहरलाल पिता मांगीलाल 2. उदयलाल पिता रामकरण तिवाडी के 16.17 बीघा भूमि सन 2050 में अलोट हुई तब से भूमि 2033–2036 तक मनोहर लाल व उदयलाल के नाम जमाबन्दी में दर्ज होकर चली आ रही है। सम्वत 2033 से 2036 में आराजी नं. 600, 601/1, 614/1 मे से रकबा 1.11 बीघा भूमि खाली 10 बिस्वा कम हुई। सम्वत 2036 से 2039 की जमाबन्दी में मनोहरलाल पिता मांगीलाल 1/2 के स्थान पर मोहन लाल पिता मांगीलाल का नाम बिना की विधिक आदेश के रेवेन्यु अधिकारियों ने लापरवाही से मनोहरलाल पिता मांगीलाल के स्थान पर मोहनलाल पिता मांगीलाल लिख दिया। उक्त भूमि मनोहरलाल अपने हिंससे की 1/2 भूमि स्वंय काश्त करते रहे उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी पुत्री चॉन्द देवी काश्त कर रही है। मनोहरलाल की मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी उत्तराधिकारी पुत्री चॉन्द देवी रही मनोहरलाल की पत्नि मोहन बाई की भी मृत्यु हो गई है। मोहनलाल की मृत्यु हो गई उनके वारीस उनकी पत्नि सोहन बाई 2 पुत्र रूधवीर लाल व कन्हैयालाल रहे, सोहन बाई की मृत्यु हो गई व रूधवीर लाल नाऔलाद फौत हो गया, उदयलाल की मृत्यु हो गई उनके 2 लडके घनश्याम व राजेन्द्र व पुत्री सुशीला हुई व उनकी पत्नि लाड देवी रही लाड देवी की मृत्यु हो गई।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि सम्वत 2036 से 2039 में मोहनलाल के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गई थी। मोहनलाल की मृत्यु उपानत सम्वत 2053–2056 में मोहनलाल की बजाय सोहन बेवा मोहनलाल रूधवीर लाल कन्हैयालाल के नाम विरासत से खाता रदोबदल हो गया उदयलाल की मृत्यु हो गई सम्वत 2061 में उनके वारीसान घनश्याम राजेन्द्र सुशीला व पत्नि लाड देवी के नाम खाता रददोबदल हुआ लाड देवी की मृत्यु हो गई। राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी जॉच के व बिना कीसी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में मनोहरलाल के स्थान पर मोहनलाल का नाम परिवर्तन कर दिया, मनोहरलाल ने अपने जीवन काल में राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही ली उनकी मृत्यु दिनांक 14.04.2014 को हो गई वादीया ने 10.08.2020 को रेवेन्यु रिकॉर्ड की नकले ली तब जानकारी हुई मनोहरलाल के स्थान पर मोहन लाल कर दिया इसलिये वादिया इन्द्राज दुरूस्ती कराने की हकदार है। वादीया ने अपनी व्यथा दिनांक 10.08.2020 को तो उनहोने सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया 10.08.2020 को राजस्व रिकॉर्ड लेने से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद पत्र में उदयलाल के सहखातेदार होने से व उनकी मृत्यु होने से उनके वारीसों को फोर्मल पक्षकार बनाया है। तहसीलदार को भूमिधारी होने से पक्षकारा बनाया व बी आर आर बी शाखा खजुरी को फॉर्मल पक्षकार बनाया गया, इनके विरूद्व दाद नही चाही गई। वादपत्र में वर्णित आराजी का प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 01 की और से श्री विकास पत्रिया, एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच राजीनामा हो जाने से राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया। राजीनाम तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें बतांया की ग्राम खजुरी में स्थित आ.न. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 सोहन बाई, कन्हैयालाल, रघुवीर लाल के स्थान पर चान्द देवी पुत्री मनोहर लाल के नाम दर्ज कर दी जावे हमें आपत्ति नही है। मुताबिक राजीनामा डिक्री प्रदान कर दी जावे। प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल की पहचान श्री विकास पत्रिया एडवोकट ने की।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति, नामा. सं. 647 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 की प्रति, ढाल बाछ की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2049 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 की प्रति, विरासत के नामा. की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032 की प्रति, प्रस्तुत की है। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वर्णित कृषि भूमि पैतृक जमीन होकर मनोहर लाल व उदयलाल के नाम जमाबन्दी में दर्ज होकर चली आ रही है। सम्वत 2036 से 2039 की जमाबन्दी में मनोहरलाल पिता मांगीलाल 1/2 के स्थान पर मोहन लाल पिता मांगीलाल का नाम बिना की विधिक आदेश के रेवेन्यु अधिकारियों ने लापरवाही से मनोहरलाल के स्थान पर मोहनलाल लिख दिया। मनोहरलाल की मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी उत्तराधिकारी पुत्री चॉन्द देवी रही मनोहरलाल की पत्नि मोहन बाई की भी मृत्यु हो गई है। मोहनलाल की मृत्यु हो गई उनके वारीस उनकी पत्नि सोहन बाई 2 पुत्र रूधवीर लाल व कन्हैयालाल रहे, सोहन बाई की मृत्यु हो गई व रूधवीर लाल नाऔलाद फौत हो गया, उदयलाल की मृत्यु हो गई उनके 2 लडके घनश्याम व राजेन्द्र व पुत्री सुशीलाल हुई व उनकी पत्नि लाड देवी रही

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

लाड देवी की मृत्यु हो गई। उक्त भूमि सम्वत 2036 से 2039 में मोहनलाल के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गई थी। मोहनलाल की मृत्यु उपरान्त सम्वत 2053–2056 में मोहनलाल की बजाय सोहन बेवा मोहनलाल रूधवीर लाल कन्हैयालाल के नाम विरासत से खाता रदोबदल हो गया उदयलाल की मृत्यु हो गई सम्वत 2061 में उनके वारीसान घनश्याम राजेन्द्र सुशीला व पत्नि लाड देवी के नाम खाता रददोवदल हुआ लाड देवी की मृत्यु हो गई। राजस्व अधिकारियों ने विना किसी जॉच के व बिना कीसी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में मनोहरलाल के स्थान पर मोहनलाल का नाम परिवर्तन कर दिया, मनोहरलाल के स्थान पर मोहन लाल कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच राजीनामा हो जाने से राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया। राजीनाम अनुसार ग्राम खजुरी में स्थित आ.न. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 सोहन बाई, कन्हैयालाल, रघुवीर लाल के स्थान पर चान्द देवी पुत्री मनोहर लाल के नाम दर्ज कर दी जावे हमें आपत्ति नही है। मुताविक राजीनामा डिक्री प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया। इसलिये वादिया इन्द्राज दुरूस्ती कराने की हकदार है। उक्त वर्णित आराजी का सोहन बाई, कन्हैयालाल, रघुवीर लाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाकर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वाद अवलोकन से स्पष्ट है की वर्णित कृषि आराजियात पुर्व में मनोहरलाल पिता मांगीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी नकल सम्वत 2029– 2032 सम्वत 2033– 2036 से होती है। जमाबन्दी सम्वत 2036–2039 में मनोहरलाल पिता मांगीलाल के स्थान पर मोहनलाल पिता मांगीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। एवं उसके बाद कालांतर में उक्त भूमि मोहनलाल पिता मांगीलाल के वारिसान के नाम दर्ज हो गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच राजीनामा हो जाने से राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया। राजीनामा अनुसार ग्राम खजुरी में स्थित आ.न. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 सोहन बाई, कन्हैयालाल, रघुवीर लाल के स्थान पर चान्द देवी पुत्री मनोहर लाल के नाम दर्ज कर दी जावे तो कोई आपत्ति नही बताई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त भुमि गलत ईन्द्राज होने से वादी के नाम किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 कुल किता 08 रकबा 15.05 बीघा भूमि का वादी को प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल एवं सोहनबाई बेवा मोहनलाल, रूघुवीर लाल पिता मोहनलाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टा मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

चॉन्द देवी पुत्री मनोहर लाल पारीक नि. खजूरी हाल पत्नि चॉन्दमल पारीक नि. राजमहल तह. देवली

वादी..........

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
2. घनश्याम पिता उदयलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
3. राजेन्द्र पिता उदयलाल पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
4. सुशीला पुत्री उदयलाल पत्नि राजेन्द्र पारीक नि. पारोली तह. कोटडी
5. बैंक मैनेजर, बी. आर. आर. बी. शाखा खजुरी तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – **88, 89, 90, 92ए आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 07 /2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री विकास पत्रिया का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः ग्राम खजुरी प. ह. खजुरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 605/1, 606/1, 607/1, 864, 865, 866, 875, 1519/600 कुल किता 08 रकबा 15.05 बीघा भूमि का वादी को प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल एवं सोहनबाई बेवा मोहनलाल, रूघुवीर लाल पिता मोहनलाल के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner